



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092021-229889
CG-DL-E-23092021-229889

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3570]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 21, 2021/भाद्र 30, 1943

No. 3570]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 21, 2021/BHADRA 30, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2021

का.आ. 3894(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् तेलंगाना राज्य के सूर्यपेट जिले में NH-365BB के कि.मी. 0 से कि.मी. 38.2 (ऑफिस ऑफ रेवेनुए डिविशनल अफसर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्डलडर सजहत 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् रेवेनुए डिविशनल अफसर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के सूर्यपेट जिले में NH-365BB के कि.मी. 0 से कि.मी. 38.2 (ऑफिस ऑफ रेवेनुए डिविशनल अफसर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना		जिले का नाम: सूर्यपेट			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: चिवेमला					
गांव का नाम: चांदुपातला					
1	313	निजी	ड्राई	101.1700000(वर्ग मीटर)	0.0101170
गांव का नाम: चिवविमला					
1	107	निजी	ड्राई	1,821.0600000(वर्ग मीटर)	0.1821060
2	171	निजी	ड्राई	101.1700000(वर्ग मीटर)	0.0101170
3	41	निजी	ड्राई	303.5100000(वर्ग मीटर)	0.0303510
4	48	निजी	ड्राई	2,225.7400000(वर्ग मीटर)	0.2225740
तालुक का नाम: मोथेय					
गांव का नाम: हुसैनबाद					
1	176	निजी	ड्राई	1,618.7200000(वर्ग मीटर)	0.1618720
2	206	निजी	ड्राई	708.1900000(वर्ग मीटर)	0.0708190
3	208	निजी	ड्राई	404.6800000(वर्ग मीटर)	0.0404680
4	209	निजी	ड्राई	505.8500000(वर्ग मीटर)	0.0505850
गांव का नाम: मम्मिल्लागुडेम					
1	3	निजी	ड्राई	607.0200000(वर्ग मीटर)	0.0607020
2	39	निजी	ड्राई	910.5300000(वर्ग मीटर)	0.0910530
3	4	निजी	ड्राई	151.7500000(वर्ग मीटर)	0.0151750
4	416	निजी	ड्राई	404.6800000(वर्ग मीटर)	0.0404680
5	5	निजी	ड्राई	101.1700000(वर्ग मीटर)	0.0101170
गांव का नाम: मोठेय					
1	223	निजी	ड्राई	607.0200000(वर्ग मीटर)	0.0607020
2	238	निजी	ड्राई	202.3400000(वर्ग मीटर)	0.0202340

गांव का नाम: सिंगरेनीपल्ली					
1	49	निजी	ड्राई	607.0200000(वर्ग मीटर)	0.0607020
तालुक का नाम: सूर्यपेट					
गांव का नाम: पिल्लालमरी					
1	1009	निजी	ड्राई	202.3400000(वर्ग मीटर)	0.0202340
कुल				11,583.9600	1.1584

[फा. सं. NHAI/PIU-KMM/DPR/LA/2017/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st September, 2021

S.O. 3894(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-365BB in the stretch of land from Km 0 to Km38.2 (Office of Revenue Divisional Officer Suryapet) in the district of SURYAPET in the state of TELANGANA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer Suryapet in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-365BB in the stretch of land from Km. 0 to Km. 38.2 (Office of Revenue Divisional Officer Suryapet) in the district of SURYAPET in the state of TELANGANA.

State: TELANGANA			District: SURYAPET		
Sr. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Chivemla					
Village: Chandupatla					
1	313	Private	Dry	101.1700000(Square Meter)	0.0101170
Village: Chivvemla					
1	107	Private	dry	1,821.0600000(Square Meter)	0.1821060

2	171	Private	dry	101.1700000(Square Meter)	0.0101170
3	41	Private	dry	303.5100000(Square Meter)	0.0303510
4	48	Private	dry	2,225.7400000(Square Meter)	0.2225740
Taluk: Mothey					
Village: Hussaianabad					
1	176	Private	dry	1,618.7200000(Square Meter)	0.1618720
2	206	Private	dry	708.1900000(Square Meter)	0.0708190
3	208	Private	dry	404.6800000(Square Meter)	0.0404680
4	209	Private	dry	505.8500000(Square Meter)	0.0505850
Village: Mammillagudem					
1	3	Private	dry	607.0200000(Square Meter)	0.0607020
2	39	Private	dry	910.5300000(Square Meter)	0.0910530
3	4	Private	dry	151.7500000(Square Meter)	0.0151750
4	416	Private	dry	404.6800000(Square Meter)	0.0404680
5	5	Private	dry	101.1700000(Square Meter)	0.0101170
Village: Mothey					
1	223	Private	dry	607.0200000(Square Meter)	0.0607020
2	238	Private	dry	202.3400000(Square Meter)	0.0202340
Village: Singarenipalli					
1	49	Private	dry	607.0200000(Square Meter)	0.0607020
Taluk: Suryapet					
Village: Pillalamarri					
1	1009	Private	dry	202.3400000(Square Meter)	0.0202340
Total				11,583.9600	1.1584

[F. No. NHAI/PIU-KMM/DPR/LA/2017/3A]

RAJESH GUPTA, Director